168

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2011/03(120)/XXVII(8)/07
दिनांकः देहरादूनः 20 जुलाई, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), एवं धारा 75 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I तथा अनुसूची–II(क) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

(क) अनुसूची–I के क्रमांक 56 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्–

"56. चीनी, देश के बाहर से आयातित चीनी को छोड़कर।"

(ख) अनुसूची–I के क्रमांक 57 की विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(ग) अनुसूची–II(क) के क्रमांक 4 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ जी जायेगी; अर्थात्–

"5. सभी प्रकार का कपड़ा जो मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूचियों में अन्यत्र पारिभाषित नहीं है।"

(घ) दिनांक 08–04–2011 से लेकर उक्त आशय की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि तक कपड़े व नॉन लेवी चीनी पर देय कर माफी का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को निम्न प्रतिबन्धों के साथ दे दिया जायः–

1. कर निर्धारण अधिकारी जॉच पर संतुष्ट हो जाय कि करदाता ने इस प्रकार की बिक्री पर कोई कर वसूल नहीं किया है।
2. कर माफी से पूर्व अपने सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) से पत्रावली सहित उच्चानुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. ऐसे करदाता जिन्होंने उक्त अवधि में ग्राहकों से कर वसूल किया है, वे नियमानुसार कर जमा करायेंगे।

उक्त आशय की अधिसूचना निर्गत होने के पन्द्रह दिन के अन्दर उक्त ट्रेड के करदाता अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय कपड़े के उपलब्ध स्टाक का विवरण, यदि कोई हो, अपने कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा ऐसे स्टाक की बिक्री पर अगले तीन माह तक उद्ग्रहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

D:\New Vtgyapti\ Kapda and sugar